फर्द अहकाम

न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, जालोर

ममता बनाम कालुराम

फौजदारी विविध प्रकरण सं.:– 266/2024 सीआईएस 993/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.10.2025	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेशिका द्वारा अधिवक्ता प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 144(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बाबत् दिलाने अन्तरिम भरण पोषण राशि का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी जा चुकी है। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि प्रार्थीया की शादी आज से करीबन 4 वर्ष हिन्दू रिति–रिवाज अनुसार अप्रार्थी कालुराम पुत्र लेखाराम के साथ प्रार्थिया के पिता भलाराम के घर ग्राम उम्मेदाबाद में संपन्न हुई थी। विवाह के समय प्रार्थिया के पीहर वालों ने अपनी हैसियत के अनुसार उपहार स्वरूप सोने–चांदी के जेवरात, अलमारी, सोफा, मंजूस व बर्तन इत्यादि घर बिक्री का सामान दिया था। उपरोक्त सामान लेकर प्रार्थिया विवाह के बाद अप्रार्थी के साथ अपने ससुराल भवरानी लेकर गयी तथा बतौर पति पत्नी के रूप में प्रार्थी व अप्रार्थी भंवरानी में रही। शादी के बाद कुछ महिनों तक प्रार्थीया को उसके ससुराल वालों ने सही रखा, उसके उपरान्त उसका पति कालुराम, सास छगनी देवी, देवर दिनेश आये दिन दहेज के लिए तंग परेशान व मारपीट करने लगे तथा कहने लगे की तेरे माता–पिता ने हमारी हैसियत के अनुसार हमें शादी में दहेज नही दिया है, जिससे हमारी समाज में नाक कट गयी है लेकिन प्रार्थिया अप्रार्थी व उसके परिवार वालों के जुल्मों को सहन करती रही तथा प्रार्थिया के ससुराल वाले कई बार मारपीट कर अपने पिता के घर भेज दिया, लेकिन किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नही की क्योंकि वह अपनी गृहस्थी बर्बाद करना नहीं चाहती थी। फिर दो तीन बार सामाजिक स्तर पर रिश्तेदारों द्वारा समझाईश की गयी और प्रार्थिया के ससुराल वालों ने आश्वासन दिया कि आयन्दा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी तब प्रार्थीया वापिस अपने ससुराल चली गयी। प्रार्थिया का पति शराबी, झगड़ालू व बदमाश प्रवृति का होने के कारण प्रार्थिया को कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रखा, उसके उपरान्त प्रार्थिया का पति, सास व देवर ने पुनः दहेज के लिए मारपीट करना शुरू किया। आज से 15–20 दिन पूर्व अप्रार्थी व सास व देवर ने प्रार्थिया को दहेज के लिए तंग परेशान व मारपीट कर घर से बेघर कर दिया तथा गांव भंवरानी से धक्के देकर निकाल दिया, तब से प्रार्थिया अपने माता–पिता के साथ गांव उम्मेदाबाद में रह रही है। निकालते वक्त	

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–1,जालोर (राज.)

कहा कि तेरे माता–पिता के घर से 2 लाख रूपये लेकर आयेगी तो तुझे रखेंगे वरना तेरी कोई जरूरत नहीं है। तब से प्रार्थिया अपने पीहर उम्मेदाबाद में रह रही है। प्रार्थिया ममता पिछले 15–20 दिनों से अपने माता के घर उम्मेदाबाद में बैठी है। प्रार्थिया के माता–पिता वृद्ध है तथा गांव में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अप्रार्थी कालुराम अंबिका टॉयज मदुरई (तमिलनाडु) मे होलसेल की दुकान पर नौकरी करता है जिससे मासिक वेतन 20,000/– रू प्रतिमाह है। इसके अलावा भंवरानी में अप्रार्थी की खेतीबाड़ी की भी जमीन है, जिस पर काश्त करता है जिससे सालाना 4–5 लाख रूपये आसानी से कमा लेता है तथा प्रार्थिया के पति/ससुराल वाले संपन्न परिवार से है। प्रार्थिया ममता कोई काम धंधा नही जानती है तथा उसका स्वास्थ्य भी ठीक नही रहता है इस कारण मजदूरी करने में भी असमर्थ है। इस तरह से प्रार्थीया को अपने भरण–पोषण व दवाईयां, कपड़े, मकान किराया तथा अन्य कार्य हेतु 25,000/–रू. की आवश्यकता रहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी से भरण पोषण राशि मासिक 25,000/– रुपये दिलवाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 25.08.2025 को जवाब का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली बहस प्रार्थना–पत्र हेतु नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अंतरिम भरण पोषण के रूप में मासिक 25,000/– रुपये दिलाने का निवेदन किया, जिसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

बहस में अभिव्यक्त तथ्यों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहित पत्नी है। पत्रावली में यह तथ्य भी सिद्ध आता है कि प्रार्थिया अप्रार्थी से पृथक् रह रही है। पृथक् रहने का कारण युक्तियुक्त है या नहीं यह मूल प्रार्थना–पत्र में साक्ष्य के पश्चात् ही निर्धारित किया जा सकता है। प्रार्थिया के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अभिव्यकत किया गया कि अप्रार्थी अंबिका टॉयज मदुरई(तमिलनाडु) में होलसेल की दुकान पर नौकरी करता है, जिससे अप्रार्थी मासिक 20,000/– रुपये प्रतिमाह कमाता है तथा इसके अतिरिक्त भंवरानी में अप्रार्थी की खेतीबाड़ी की जमीन भी है जिस पर काश्त कर वह सालाना 4–5 लाख रुपये कमाता है। प्रार्थिया कोई काम धंधा नहीं जानती। अप्रार्थी के द्वारा दहेज की मांग कर प्रार्थिया को मारपीट कर

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–1,जालोर (राज.)

घर से बाहर निकाल दिया गया, तब से वह अपने पीहर में निवास कर रही है। प्रार्थिया अपना भरण पोषण करने में असक्षम है। अप्रार्थी द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिया बिना किसी उचित कारण के पृथक् निवास कर रही है। उसने कभी भी प्रार्थिया से दहेज की मांग नहीं की। अप्रार्थी की अंबिका टॉयज मदुरई (तमिलनाडु) में होलसेल की दुकान नहीं है। अप्रार्थी वर्तमान में मजदूरी कर प्रतिमाह 5,000/– रुपये कमा रहा है। प्रार्थिया सिलाई का कार्य करती है तथा अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। प्रार्थिया के द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में इस बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि अप्रार्थी की अंबिका टॉयज मदुरई (तमिलनाडु) में होलसेल की दुकान हो जिससे वह मासिक 20,000/– हजार रुपये कमा लेता हो। उभय पक्षों द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रार्थिया अप्रार्थी की वैध विवाहित पत्नी है तथा प्रार्थिया अप्रार्थी से पृथक् निवास कर रही है। अतः अप्रार्थी का यह नैतिक दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। उपरोक्त तथ्यानुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् अंतरिम भरण पोषण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी कालुराम को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थिया ममता को अंतरिम भरण पोषण के रूप में रुपये 3,500/– अक्षरे तीन हजार पांच सौ रुपये प्रत्येक मास की 10 तारीख तक अदा करे। भरण पोषण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से देय होगा। तदनुसार प्रार्थना–पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल पत्रावली हो।

31/10/14

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संख्या–1, जालोर (राज.)